महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

ज्ञान शांति मैत्री

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
PROF. KRISHNA KUMAR SINGH
कार्यकारी कुलसचिव
ACTING REGISTRAR

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-247602

क्रमांकः 006/Estt./AT/63/2019/1541
दिनांकः 03/09/2019

अधिसूचना

कार्य–परिषद की दिनांक 21.06.2019 को सम्पन्न 63वीं बैठक में मद संख्या–2 के बिंदु–20 के तहत लिए गए निर्णय के अनुसार **'आवासीय लेखक अध्येतावृत्ति'** नियुक्ति विषयक संलग्न **अध्यादेश क्रमांक–55** को विश्वविद्यालय के परिनियम 36 (v) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(प्रो. कृष्ण कुमार सिंह)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. श्री विजय कुमार, अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. कार्य–परिषद के सभी माननीय सदस्यगण
5. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि.,वर्धा
6. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि.,वर्धा
7. वित्ताधिकारी कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि.,वर्धा
8. विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं क्षेत्रीय केंद्र प्रभारी
9. जनसंपर्क अधिकारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. संबंधित पत्रावली/गार्ड फाइल

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

अध्यादेश–55 का प्रारूप

(आवासीय लेखक अध्येतावृति)

(विश्वविद्यालय परिनियम 13(2)(xviii) के प्रावधान के अनुसार)

1. आवासीय लेखक अध्येता की नियुक्ति कुलपति की अनुशंसा पर कार्य–परिषद द्वारा की जाएगी।
2. आवासीय लेखक की नियुक्ति अधिकतम 6 (छः) माह के लिए होगी। कार्य–परिषद की स्वीकृति से विशेष स्थिति में 6 (छः) माह के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकेगा।
3. आवासीय लेखक को, उसकी नियुक्ति अवधि के लिए राशि रु.75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह मानदेय देय होगा।
4. आवासीय लेखक को आमंत्रण लिखित अनुबंध के आधार पर दिया जाएगा। अनुबंध की स्वीकृति एवं पदभार ग्रहण करने के बाद ही नियुक्ति प्रभावी होगी।
5. आवासीय लेखक से विश्वविद्यालय अधिवास की अवधि में किए जाने वाले अकादमिक कार्य की संक्षिप्त रुपरेखा अनुबंध–पत्र के साथ प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी। अपनी रुचि से अथवा विश्वविद्यालय के किसी विभाग/केंद्र के अनुरोध पर शैक्षणिक/अकादमिक कार्यों में भी उनसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी।
6. आवासीय लेखक को विश्वविद्यालय अधिवास की अवधि में किए गए अपने अकादमिक सर्जनात्मक कार्य की पांडुलिपि कार्यावधि समाप्ति के समय विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। विश्वविद्यालय को उसके प्रकाशन और स्वत्व का अधिकार होगा।
7. आवासीय लेखक को विश्वविद्यालय एकल आवास व्यवस्था निःशुल्क प्रदान करेगा।
8. आवासीय लेखक को विश्वविद्यालय के अतिथि–गृह में उपलब्ध भोजन आदि के लिए निर्धारित दर पर स्वयं भुगतान करना होगा।

(कृष्ण कुमार सिंह)
कुलसचिव
म.गां.अं.हिं.वि.वर्धा